उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्याः 2283/18-4-2006-35(एसईजेड)/06
लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2006

कार्यालय - ज्ञाप

भारत सरकार के एस.ई.जेड. एक्ट-2005 एवं रूल्स 2006 के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से वांछित कार्यवाही हेतु उ0प्र0 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नीति-2006 (भाग-'क') के बिन्दु-3-(8) के अनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की एक प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-

1-	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2-	औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	संयोजक सदस्य
5-	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्थागत कर एवं वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6-	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7-	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8-	प्रबन्ध निदेशक, पिकप, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य

2- अन्य विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव तथा अन्य अधिकारियों एवं विकासकर्ता को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त प्राधिकृत समिति के कार्य एवं अधिकार निम्नवत् होंगेः-

1- समिति द्वारा प्रदेश सरकार को प्राप्त सभी एस.ई.जेड. (वर्तमान में प्राप्त निजी क्षेत्रों के एस.ई.जेड. के प्रस्तावों सहित) के प्रस्तावों पर भारत सरकार एक्त एवं रूल्स तथा राज्य सरकार की उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत परीक्षण करके भारत सरकार को एस.ई.जेड. एक्ट-2005 की धारा-3 के अन्तर्गत संस्तुति प्रदान करने हेतु विचार करना।

2- विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना एवं कार्यान्वयन के सम्बंध में वे अन्य कार्य करना, जो राज्य सरकार सौपें।

3- किसी एस.ई.जेड. के द्रुत एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा सफल संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं प्रमुख सचिव